

Form no. III

फर्द अहकाम


(नियम 26)

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

अंजूरानी व अन्य बनाम ओमप्रकाश छावडा व अन्य

किस्म मुकदमा:-अपील अन्तर्गत धारा 75 भूराजस्व अधिनियम प्रकरण संख्या :- 31/2020

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही गय इनिशियल्स जज  | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हए |
|-------------|---|--|
| 25.02.2021  | <p>आज यह पत्रावली अपीलांटगण द्वारा जरिये अधिवक्ता श्री राकेश मनचन्दा द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर पेशी में ली गई। अपीलांटगण ने जरिये अधिवक्ता निवेदन किया कि उपरोक्त अनवानी अपील में अपीलांटगण का रेस्पोंडेंटगण से राजीनामा हो गया है। अपीलांटगण प्रकरण में स्वर्गीय श्री निहालचन्द द्वारा निष्पादित वसीयत दिनांक 11.04.2018 को सही व सत्य होना स्वीकार करती है। अपीलांटगण का प्रश्नगत भूमि तहसील घडसाना के चक 8 आरजेडी पत्थर न. 137/19 मुरब्बा न. 12 का किला न. 11 ता 25 में कुल 3.7190 है० के सन्दर्भ में आज के उपरांत रेस्पोंडेंटगण से कोई वाद विवाद शेष नहीं रहा है। अपीलांटगण इस अपील को राजीनामा के आधार पर आगे चलाना नहीं चाहते है। अतः अपील इसी स्तर पर दाखिल दफ्तर फरमाई जावे। अपीलांटगण द्वारा जरिये अधिवक्ता प्रस्तुत प्रार्थना शामिल मिसल किया गया।</p> <p>पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलांटगण द्वारा जरिये अधिवक्ता प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपील आगे नहीं चलाने हेतु निवेदन किया गया है। अतः प्रार्थना पत्र अपीलांट स्वीकार किया जाता है तथा अपील अपीलांट इसी स्तर पर खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील तरतीब दाखिल दफ्तर हो।</p> <p>निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।</p> |  |

  
(डॉ० हरीतिमा)  
अतिरिक्त जिला कलक्टर  
सूरतगढ़